आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

15.7.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 84/2014–15

1. मो0 हफीज वो मो0 हकीम, पिता–स्व0 हबीब
2. बीबी खोतेजा, बीबी जुबेदा, बीबी नाजो, बीबी जरीना व बीबी वरीना, सभी पिता–स्व0 हबीब
3. मसो0 नूरजहाँ, पति–स्व0 हबीब

सभी सा0–बरमोत्तरा, थाना–भरगामा, जिला–अररिया – प्रथम पक्ष

बनाम

बीबी जमीला, पति–बदरूल, सा0–नया भरगामा, थाना–भरगामा, जिला–अररिया – विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद अंचल पदाधिकारी, रानीगंज के पत्रांक 766, दिनांक 27.4.2013 द्वारा विविध वाद सं0 01/2012–13 निम्न विवरण की भूमि का जमाबंदी सुधार हेतु अपनी अनुशंसा सहित तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के विविध वाद सं0 71/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.3.2013 के आलोक में इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
गोपालपुर	145	305	710/1815	1.04 ए0

पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने पर अभिलेख को सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया। किन्तु विपक्षी द्वारा बार–बार समयावधि आवेदन देकर सुनवाई में भाग नहीं लिया गया। तदोपरांत उनकी ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया। ततपश्चात् प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–गोपालपुर का सर्वे खतियान मुराद मियाँ, पिता–तुलसी मियाँ, सा0–बरमोत्तरा के नाम खाता सं0 305, खेसरा सं0 710/1814, रकवा 2.45 ए0 एवं खेसरा सं0 710/1815, रकवा 1.60 ए0, कुल 4.05 ए0 दर्ज है। मुराद मियाँ द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0 13679, दिनांक 7.7.1967 द्वारा बीबी जमीला, पति–बदरूल द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत मौजा–गोपालपुर में खाता सं0 305, खेसरा सं0 711/1885, रकवा 1.04 ए0 भूमि बिक्री की गई। किन्तु प्रश्नगत मौजा–गोपालपुर में खेसरा सं0 711/1885 की भूमि नहीं है। परन्तु बीबी जमीला द्वारा कर्मचारी से मिलीभगत कर प्रश्नगत खेसरा को 710/1815 में दिखाकर

नामान्तरण वाद सं0 1323/2002–03 द्वारा दाखिल–खारिज कराकर जमाबंदी दर्ज कराई और पुनः जमाबंदी के आधार पर प्रश्नगत भूमि अपने दामाद अब्दुल रहमान को दो निबंधित दस्तावेज सं0 2970 एवं 2971, दिनांक 21.4.2005 द्वारा कुल रकवा 1.04 ए0 भूमि बिक्री कर दी गई। जिसका दाखिल–खारिज कैम्प नामान्तरण वाद सं0 444/2005–06 के द्वारा होकर जमाबंदी सं0 1312 दर्ज करा ली गई है। जबकि बीबी जमीला को प्रश्नगत खेसरा 710/1815 प्राप्त ही नहीं है। उन्हें खेसरा 711/1885 की भूमि प्राप्त है। अतः निबंधित डीड सं0 13679, दिनांक 7.7.1967 के आधार पर नामान्तरण वाद सं0 1323/2002–03 द्वारा दर्ज जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के लिखित बहस के अनुसार प्रश्नगत भूमि का सर्वे खतियानी खेसरानुसार खाता 305, खेसरा 710/1815, रकवा 1.04 ए0 भूमि बीबी जमीला, पति–बदरूल को बजरिये निबंधित केवाला सं0 13679, दिनांक 7.7.1967 द्वारा खतियानी रैयत से प्राप्त है। जिसका दाखिल–खारिज वाद सं0 1323/2002–03 द्वारा कराकर जमाबंदी दर्ज कराई तथा शांतिपूर्ण दखलकार रहीं। पुनः बीबी जमीला द्वारा प्रश्नगत भूमि अपने दामाद अब्दुल रहमान, पिता–अजमत अली, सा0–भरगामा को बिक्री कर दी गई। जिसका की दाखिल–खारिज कैम्प कोर्ट वाद सं0 444/2005–06 के द्वारा होकर जमाबंदी सं0 1312 दर्ज कराई तथा शांतिपूर्वक दखलकार होते हुए लगान भुगतान करते आ रहें हैं।

बीबी जमीला खतियानी रैयत की पुत्री है तथा उन्हें अपने पिता से दान में भूमि प्राप्त है। मुस्लिम कानून के अनुसार प्रथम पक्ष द्वारा और उनके पूर्वजों द्वारा 45 वर्ष के बाद वादग्रस्त भूमि पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है। हल्का कर्मचारी द्वारा प्रथम पक्ष के जमाबंदी रद्दीकरण के आवेदन का बिना स्थलीय जाँच किये ही प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। न्यायहित में रजिस्ट्रड डीड के माध्यम से कायम जमाबंदी का लम्बी अवधि के बाद चुनौती दिया जाना द्वितीय पक्ष को परेशान करने के नियत से की गई है।

अतः प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हुए विपक्षी के दर्ज जमाबंदी को कायम रखने का अनुरोध करते हैं।

प्रथम पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने उनके द्वारा दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन तथा द्वितीय पक्ष के लिखित बहस तथा दाखिल दस्तावेजों एवं अंचलाधिकारी, रानीगंज के विविध वाद सं0 01/2012–13 में की गई विवेचना एवं अनुशंसा से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का सर्वे खतियान मुराद मियाँ, पिता–तुलसी मियाँ, सा0–बरमोत्तरा के नाम प्रकाशित है। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल निबंधित दस्तावेज सं0 13679, दिनांक 7.7.1967 की प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि जो दिनांक 20.10.1986 को निबंधन कार्यालय से प्राप्त की गई है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–गोपालपुर के अन्तर्गत खाता सं0

305, खेसरा सं0 711/1885, रकवा 1.04 ए0 भूमि खतियानी रैयत से विपक्षी बीबी जमीला को प्राप्त है। किन्तु विपक्षी जमीला के नाम प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज वाद सं0 1323/2002–03 द्वारा दाखिल–खारिज कराकर जमाबंदी दर्ज कराई गई। पुनः बीबी जमीला ने प्रश्नगत भूमि अपने दामाद अब्दुल रहमान, पिता–अजमत अली, सा0–भरगामा को बिक्री कर दी गई। जिसका भी दाखिल–खारिज कोर्ट कैम्प वाद सं0 444/2005–06 द्वारा होकर जमाबंदी अब्दुल रहमान के नाम दर्ज है।

अंचलाधिकारी, रानीगंज के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी विपक्षी बीबी जमीला के नाम नामान्तरण वाद सं0 1323/2002–03 एवं उनके दामाद अब्दुल रहमान के नाम कोर्ट कैम्प नामान्तरण वाद सं0 444/2005–06 के द्वारा विधिवत नामान्तरण वादों के तहत दाखिल–खारिज होकर जमाबंदी दर्ज है, जो बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा 9(i) के तहत जमाबंदी रद्दीकरण के योग्य नहीं है। अतएव आवेदकगणों के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आवेदकगण चाहे तो नामान्तरण वादों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकतें हैं।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल अधिकारी, रानीगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 98 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 15 / 07 /2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को विविध वाद सं0 01/2012–13 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : विविध वाद सं0 01/2012–13 (अंचल–रानीगंज) मूल में।

15.7.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया